



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श०)

(सं० पटना 827) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

27 सितम्बर 2016

सं० एसीस-01/नि०-41/2014-801—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, श्रम संसाधन विभाग के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन, परिधापक (ड्रेसर) संवर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

अध्याय—1

प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। — (1) यह नियमावली "बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिधापक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2016" कही जा सकेगी।
 - इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- परिभाषाएँ। — जब तक कि विषय अथवा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :—
 - "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
 - "विभाग" से अभिप्रेत है श्रम संसाधन विभाग;
 - "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
 - "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना बिहार;
 - "संवर्ग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिधापक (ड्रेसर) संवर्ग;
 - "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट;
 - "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है, निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार।
- संवर्ग का गठन।— परिधापक का संवर्ग राज्य स्तरीय होगा। इस संवर्ग में प्रत्येक कोटि के पदों की संख्या तथा संवर्ग के कुल पदों की संख्या उतनी ही होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत की जाय।

4. **संवर्ग का पदसोपान।** - इस संवर्ग की विभिन्न कोटियाँ एवं पदसोपान परिशिष्ट-1 के अनुसार होंगे। संवर्ग के पदों पर इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

परिशिष्ट-1 में उल्लिखित पद सोपान सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगा। यदि अनुमोदन पर विचार के क्रम में सरकार द्वारा परिशिष्ट-1 में अंकित पदसोपान में कोई परिवर्तन या संशोधन किया जाता है तो परिशिष्ट-1 तदनुसार परिवर्तित या संशोधित समझा जायेगा और ऐसा परिवर्तित/संशोधित पद सोपान इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

अध्याय-2

भर्ती

5. **भर्ती।** - (1) इस संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि (परिष्ठापक) के पद पर सीधी भर्ती से आयोग की अनुशंसा के आधार पर होगी।

6. **अर्हताएँ।** -

- (1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मैट्रिक/दसवीं (भौतिक विज्ञान, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान एवं अंग्रेजी के साथ) में उत्तीर्णता होगी। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान के परिष्ठापक सर्टिफिकेट कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा।
- (2) परिष्ठापक संवर्ग में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वहीं होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार, अवधारित की जाय। संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को आयु के अवधारण का कट ऑफ डेट माना जायेगा।

7. **भर्ती की प्रक्रिया।** -

- (1) नियुक्ति प्राधिकार, वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर एवं रोस्टर क्लीयरेंस कराकर, आरक्षण कोटिवार, अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अंततम 30 अप्रैल तक भेजेगा।
 - (2) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा और लिखित प्रारम्भिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा :-
- | | | |
|--|---|----------------|
| (क) मैट्रिक/दसवीं परीक्षा में प्राप्तांक के लिए | - | 30 अंक |
| (ख) उच्चतर डिग्री में प्राप्तांक के लिए | - | 15 अंक |
| (ग) सर्टिफिकेट के लिए | - | 30 अंक |
| (घ) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव
(प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक) | - | 25 अंक |
| कुल | | 100 अंक |

टिप्पणी- मैट्रिक/दसवीं परीक्षा तथा सर्टिफिकेट कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को क्रमशः 0.25 एवं 0.35 के गुणक से गुणा करके होगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे $50\% \times 0.25 = 12\frac{1}{2}$ अंक दिये जायेंगे। इसीप्रकार अगर वह सर्टिफिकेट कोर्स की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किया हो, तो उसे $50\% \times 0.35 = 17\frac{1}{2}$ अंक दिये जायेंगे।

- (3) आयोग, उपर्युक्त के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा। मेधासूची तैयार करने के पश्चात्, आयोग के द्वारा, नियुक्ति प्राधिकार के सहयोग से, प्रमाणपत्र की प्रारम्भिक जांच एवं स्वास्थ्य जांच करायी जायेगी और तत्पश्चात् अधियाचित रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार अंतिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी, प्रमाणपत्रों की जांच के पश्चात्, अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन करा लिया जायेगा।
- (4) आयोग की अनुशंसा के पश्चात् नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

अध्याय-3

परिवीक्षा/विभागीय परीक्षा/सम्पुष्टि

8. **परिवीक्षा अवधि**— नियुक्ति के उपरान्त अभ्यर्थी परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर यदि नियुक्ति प्राधिकार की राय में सुधार की गूजाइश हो तो परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे परिधापक की सेवा समाप्त कर सकेगा।

9. **प्रशिक्षण**— परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन परिधापक को ऐसे प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा, जो विभाग द्वारा विहित किया जाय।

10. **विभागीय परीक्षा**— परिधापक को विभाग द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। विभागीय परीक्षा का पाठ्य विवरण विभाग द्वारा अवधारित किया जायेगा।

11. **सम्पुष्टि**— परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक होने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर परिधापक की सेवा सम्पुष्टि की जा सकेगी। विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्राप्तांक 40% है।

12. **वरीयता**— परिधापक की आपसी वरीयता आयोग के द्वारा अंतिम रूप से तैयार मेधासूची के अनुसार अवधारित की जायेगी।

अध्याय-4

प्रोन्नति

13. **प्रोन्नति के सोपान**—

(1) परिशिष्ट-1 में यथा उल्लिखित प्रोन्नति वाले पद पर किसी परिधापक (ड्रेसर) को प्रोन्नति देने पर विचार किया जायेगा जब उसकी सेवा सम्पुष्ट और जब वह पद के उपलब्धता के अध्यधीन वरीयता—सह—योग्यता के आधार प्रोन्नति के दायरे में आए।

(2) प्रोन्नति के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित 'कालावधि' संबंधी अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।

(3) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रोन्नति और चारित्री/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (पी0ए0आर0) आरोप, विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही आदि संबंधी अनुदेशों का प्रोन्नति पर विचार करते समय अनुपालन करना अपेक्षित होगा।

14. **विभागीय प्रोन्नति**— प्रोन्नति विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशांसा के आधार पर होगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

अध्याय-5

प्रकीर्ण

15. **आरक्षण**— सरकार के आरक्षण अधिनियम के उपबंधों और सरकार द्वारा समय-समय पर सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

16. **अवशिष्ट मामले**— इस नियमावली में जिन विषयों का उपबंध नहीं किया गया है, उनके लिए सरकार की सुसंगत संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

17. **शंकाओं का निराकरण**— यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न हो तो इसे विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा और इस संबंध में विभाग का विनिश्चय विधि विभाग के परामर्श के बाद अंतिम होगा।

18. **कठिनाइयों का निराकरण**— यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग ऐसी कठिनाई का निराकरण सामान्य प्रशासन विभाग एवं विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कर सकेगा।

19. **निरसन एवं व्यावृत्ति**—

(1) इस संवर्ग के संबंध में, विभाग द्वारा पूर्व में, समय-समय पर, निर्गत नियमावली और सभी संकल्प, आदेश, अनुदेश, आदि निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसी नियमावली, संकल्प, अनुदेश, आदेश आदि के अधीन किया गया या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के द्वारा किया गया या की गयी कोई कार्रवाई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

परिशिष्ट-1

[नियम 2 (vi), 4, 13,16,17 द्रष्टव्य]

परिधापक संवर्ग का पद सोपान

क्रमांक	कोटि	पदनाम	अभ्युक्ति
1	मूल कोटि	परिधापक	
2	प्रथम सोपान	वरीय परिधापक	
3	द्वितीय सोपान	परिधापक पर्यवेक्षक	
4	तृतीय सोपान	वरीय परिधापक पर्यवेक्षक	

नोट - उपर्युक्त सभी कोटियों का वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाय।

दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 27th September 2016

No. ESIS-01/NI-41/2014-801— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following Rules to regulate recruitment, promotion and service conditions in the Dresser Cadre under the Employees State Insurance Scheme of the Department of Labour Resources.

Chapter-1 PRELIMINARY

1. **Short title extent & commencement.**—(1) These 'Rules' may be called as the "Bihar Employees State Insurance Scheme Dresser (Recruitment, Promotion and Service conditions) Cadre Rules, 2016"

- (2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.
(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions.**—In these Rules, unless otherwise requires in the subject or context :-

- (i) 'Government' means the Government of Bihar;
(ii) 'Department' means the Labour Resources Department;
(iii) 'Commission' means the Bihar Staff Selection Commission;
(iv) 'Appointing Authority' means Director, Medical Services, Employees State Insurance Scheme, Bihar;
(v) 'Cadre' means the Bihar Employees State Insurance Scheme Dresser Cadre ; and
(vi) 'Appendix' means appendix appended to these Rules;
(vii) 'Cadre controlling Authority' means Director, Medical Services, Employees State Insurance Scheme, Bihar.

3. **Constitution of Cadre.**—The Cadre of Dresser shall be at State level. In this cadre, number of posts in every grade, and total number of posts of the cadre shall be the same as sanctioned by the Government, from time to time.

4. **Hierarchy of posts of cadre.**— Different grades and hierarchy of posts of this cadre shall be according to Appendix-1. The personals having regular appointment and working on the posts of this cadre prior to coming into force of these Rules, shall be deemed to be automatically included in this cadre.

The hierarchy mentioned in the Annexure shall be effective only after approval of the Government. If during course of consideration any amendment is made in the hierarchy of post if this cadre , then the Annexure would be deemed to be amended accordingly, and the amended Annexure shall be part of this Rules.

